न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 34 / 2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00269

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री कृपाशंकरजी जाति राजपुरोहित निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–22.12.2020

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 1377 / 2020 बअनवान सरकार बनाम सत्येन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं मातहत अदालत सुमेरपुर की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपीलांट को सुमेरपुर के खसरा नम्बर 216 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमी पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए जो बेदखली के आदेश पारित किए है उक्त समस्त कार्यवाही विधी विरूद्ध की गई है। वकील अपीलांट ने कथन किया कि खसरा नम्बर 216 की सम्पूर्ण भूमी चाही दोयम मंदिर महादेव श्री नीलकंठ की ट्रस्ट की खातेदारी भूमी है। जो संलग्न पत्रावली जमाबन्दी की प्रति संवत 2074–2077 से स्पष्ट है। मंदिर को ट्रस्टियों द्वारा उपरोक्त भूमी को नगरपालिका सुमेरपुर के बेचाण कर सरेण्डर की थी तथा नगरपालिका सुमेरपुर ने एक स्कीम के तहत ट्रॉसपोर्ट नगर बताया था जिसमें गोदाम, वर्कशॉप की निलामी की गई थी तथा शेष भूमी पर आवासीय व व्यवसायिक भूखण्ड दुकानों की निलामी की थी। अपीलांट के पूर्वजों ने भी 2 भूखण्ड वर्कशॉप हेतु लिए थे। तथा निलामी की शर्तों के अनुसार 1 / 4 राशि जमा कराई थी तथा कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया था। तब से उक्त भूमी पर अपीलांट काबीज है। जिस पर लाईट कनेक्शन, जल कनेक्शन लिया हुआ है तथा पट्टा बनाने हेतु नगर पालिका सुमेरपुर में आवेदन किया हुआ है विकास शुल्क भी जमा करा दिया है नगरपालिका से नल कनेक्शन लिए रोड कटिंग के लिए NOC ले रखी है। उक्त सभी कथन तहसीलदार के समक्ष किए लेकिन उन्होंने उक्त दस्तावेज पेश आईन्दा तारीख पेशी पर पेश करने का कहा लेकिन उसका निर्णय उसी दिवस को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पारित कर दिया गया जिसके अनुसार अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित किया गया एवं निर्माण कार्य के जब्त सरकार किए जाने के आदेश पारित किए उपरोक्त समस्त कार्यवाही मातहत अदालत द्वारा अपनी मनमर्जी से अपीलांट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई जबकि मंदिर की खातेदारी भूमी से अतिक्रमण हटाये जाने का प्रावधान धारा 91 [illegible] अधिनियम में नहीं है धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार [illegible]चक[illegible] पर किए गए अतिक्रमण से ही अतिक्रमी के बेदखल करने का प्रावधान है। [illegible] भूमि पर निर्माण कार्य करने पर धारा 177 एवं 183 राज[illegible] अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फ[illegible] जावे। अधिवक्ता अपी[illegible] निवेदन किया कि पूरे खसरा की भूमी पर ट्रॉसपोर्ट नगर व अन्य भवन व सड़[illegible] निर्मित है पूरा खसरा आबाद है। जिसके फोटो–ग्राफ पत्रावली में संलग्न है मात्र द्वेष भावना से अपीलांट के विरूद्ध ही कार्यवाही की गई है जिसे निरस्त फरमाई जाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:42:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जिस खसरा नम्बर 216 में अतिक्रमण करने बाबत कार्यवाही की गई उक्त खसरे की भूमि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा नगरपालिका सुमेरपुर को बेचाण की गई एवं नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि ट्राँसपोर्ट नगर बसाने हेतु समर्पित की गई थी। तथा नगरपालिका सुमेरपुर ने एक स्कीम के तहत उक्त भूमि पर ट्राँसपोर्ट नगर बनाया एवं इस नगर में गोदाम, वर्कशॉप, आवासीय भूखण्ड एवं निर्मित दुकानों की निलामी की गई थी। उक्त निलामी में अपीलांट के पूर्वजों द्वारा भूखण्ड वर्कशॉप के रूप में लिये गये थे तथा शर्तों के अनुरूप ही 1/4 हिस्से की राशि जमा करवा दी थी। एवं कब्जा नगरपालिका सुमेरपुर द्वारा सुपुर्द किया गया था। तब से ही अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है। अपीलार्थी के द्वारा नगरपालिका सुमेरपुर द्वारा निलामी सूचना जो अखबार में प्रकाशित करवाई थी उसकी फोटो प्रति भी पेश की। अपीलार्थी द्वारा नल कनेक्शन रोड कटिंग विकास शुल्क आदि जमा कराए जाने बाबत रसीदों की फोटो प्रतियाँ एवं अपीलांट द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन की फोटो प्रति एवं कुछ फोटोग्राफ भी पेश किए। उपरोक्त सभी दस्तावेजात में कहीं भी उक्त खसरा नम्बर 216 का उल्लेख नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उपरोक्त समस्त कारवाई जैर अपील आराजी बाबत ही की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित नगरपालिका के हक मे किए गए बेचाणनामे एवं समर्पणनामें की प्रतियाँ भी प्रेषित नहीं की गई जिससे यह कतई सिद्ध नही होता की उक्त भूमि नगरपालिका की अथवा सिवायचक राजकीय भूमि है। अपील के संलग्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की फोटो प्रतियाँ अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश की गई उनमें भी कहीं खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में यह तथ्य मानने का किसी प्रकार का आधार दस्तावेज नहीं है कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही खसरा नम्बर 216 के सम्बन्ध में ही की गई। जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 216 रकबा 5.0200 चाही सोयम मन्दिर श्री महादेव जी नीलकंठ जी वाके. देह–पूर्ण खातेदार दर्ज है। अगर भूमि का बेचाण हुआ होता तो खातेदारी नगरपालिका के नाम दर्ज होती एवं अगर भूमि समर्पण की हुई होती तो जिसके हक में समर्पित की गई उसका नाम होता प्रस्तुत अपील में वर्णित उपरोक्त सभी तथ्यों के पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कीया गया है।

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा समस्त कार्यवाही अण्डर सेक्शन 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पटवारी हल्का सुमेरपुर की रिपोर्ट के आधार पर की गई जो विधिसम्मत प्रतित होती है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया की तहसीलदार द्वारा मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज भूमियों बाबत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जाती है तो किसी प्रकार से विधीसम्मत नहीं है। खातेदारी भूमि पर निर्माण के सम्बन्ध में तहसीलदार को जैर अपील आदेश पारित नहीं कर धारा 177 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था। ऐसा नहीं कर मातहत अदालत ने कानूनी भूल की है इसलिए अपील खारिज योग्य है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक अगर की गई है तो विधि खाते उल्लेखित भी प्रस्तुत की गई।

उक्त भूमि के बेचाण अथवा सिवायचक होने अथवा नगरपालिका सुमेरपुर द्वारा क्रय किए जाने के कोई साक्ष्य सबूत अधिवक्ता अ[illegible] पेश नहीं किए गए है। तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2[illegible]/पार्ट/5/जयपुर दिनॉंक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 में [illegible] कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुज[illegible] में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे ज[illegible]कि राजकीय सिवायचक भूमी पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरंक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमी संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमी की तरह राजस्व कमियों से नियमित रूप से प्राप्त कर 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुरूप प्रभावी निस्तारण करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:42:41 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........3

इस प्रकार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पटवार हल्का सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जो कार्यवाही की गई है वह पूर्ण रूप से विधी सम्मत व न्यायोचित होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यों से परे होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 1377/2020 सरकार बनाम सत्येन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनाँक 5.10.2020 को यथावत रखा जाता है। मातहत अदालत की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:42:41 IST
Reason: SelfAttested